न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री संजयकुमार,
आर.ए.एस.

पी.डी.आर. प्रकरण सं. 3/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी,पंचायत समिति जसवंतपुरा		1.श्रीमति फालु देवी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल पत्नि श्री मफतलाल सेन, धर्मचन्द का खांचा,भण्डेरी पोल के अन्दर,लाल दरवाजा अहमदाबाद (गुजरात) 2.श्री भागीरथ मीणा, पूर्व ग्रामसेवक, कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल–पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, चुरू

अन्तर्गत धारा 4 लोक अभियाचन अधिनियम 1952

पक्षकारान् के अधिवक्तागणः–
1.प्रार्थी अथवा उसके पैरोकार अनुपस्थित।
2.अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री केशव व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
3.अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 6.9.2018

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवंतपुरा ने पत्र कमांक/पंसज/ संस्था/ 1/1400 दिनांक 16.7.2015 से धारा 3 के तहत् स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004–05के आक्षेप सं.5 में बताई कुल गबन की राशि कुल 73250 में से श्रीमति फालूदेवी,पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा से राशि 36625/– व श्री भागीरथ मीणा, तत्कालीन ग्रामसेवक कलापुरा से राशि 36625/–के वसूली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1–श्रीमति फालुदेवी, तत्कालीन सरपंच,ग्राम पंचायत कलापुरा की ओर से श्री केशव व्यास, वकील व श्री सुरेश सोलंकी वकील उपस्थित आये। अप्रार्थी सं.2–श्री भागीरथ मीणा, तत्कालीन ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल–पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद् चुरू का नोटिस तारीख पेशी 23.8.2018 का तामील होकर प्राप्त हुआ लेकिन अप्रार्थी सं.2स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नही हआ है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. अप्रार्थी सं.2–श्री भागीरथ मीणा,तत्कालीन ग्रामसेवक ,ग्राम पंचायत कलापुरा हाल–पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद् चुरू की ओर से दिनांक 24.8.2018 को डाक से जवाब प्राप्त हुआ कि नोटिस से पूर्व इस विषय के सबंध में कोई जानकारी नही कराई है और न ही कोई नोटिस दिया गया है। प्रार्थी ने ग्रामपंचायत कलापुरा के ग्रामसेवक के पद से दिनांक 8.10.2004 को स्थानान्तकरण के कारण कार्यमुक्त हो गया था, आज 14 वर्ष के बाद राशि जमा कराने का नोटिस देकर वसूली कार्यवाही किया जाना न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल है। नोटिस में किन बिन्दुओं के सबंध में स्पष्टीकरण देना है,स्पष्ट न हो तो यह माना जावेगा कि आरोपित को जवाब या बचाव का कोई अवसर नही दिया गया है। प्रार्थी को दिया गया नोटिस अस्पष्ट व विधि विपरीत है जिसे निरस्त कराने की कृपा करावें।

4, अप्रार्थी सं.1 की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ।

5. विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवंतपुरा के कार्यालय आदेश कमांक/पंसजा/लेखा/2015/21–34 दिनांक 8.9.2015 से श्री राजीव पंवार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा को इस प्रकरण में विभाग की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया है लेकिन श्री राजीव पंवार समय –समय पर अनुपस्थित रहे है,जिस बाबत् विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा को इस न्यायालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2017/1215 दिनांक 13.9.17 741 दिनांक 17.7.2018 व 870 दिनांक 23.8.2018से पैरवी हेतु लिखा गया।

6. बहस सुनी गई। रैकार्ड का अवलोकन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति जसवंतपुरा के पत्र कमांक/ पंसज/संस्था/15/400 दिनांक 16.7.2015के संलग्न प्राप्त धारा 3 के तहत् प्रमाण पत्र के अनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004–05 में बताई गई 73250 की गबन की राशि में से अप्रार्थी सं.1–श्रीमति फालुदेवी, पूर्व सरपंच ,ग्राम पंचायत कलापुरा से 36625 व अप्रार्थी सं. 2–भागीरथ मीणा, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल–पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद् चुरू से 36625 की वसूली की जानी है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, कार्यालय जोधपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004—05के पैरा सं.5 अनुसार ग्राम कलापुरा के वितिय वर्ष 2004—05 के लेखों की जांच में स्थानीय निधि अकंक्षण विभाग को संधारित रोकड पंजिकाओं की जांच में एसजेआरवाई रोकड बही में 19250 व सामान्य रोकडबही में 54000 कुल राशि 73250 की राशि का अपहरण व दुरूपयोग करना करना पाया गया है जिसके लिए उपरोक्त अप्रार्थीगण को दोषी पाया जाना बताया है, अतः उनसे मय दण्डनीय ब्याज के वसूल करने व दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाने का निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है। अतःउपरोक्त अप्रार्थीगण से क्रमशः 36625—36625 मय ब्याज के वसूली योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1—श्रीमति फालूदेवी,तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा हाल—पत्नि श्री मफतलाल (पुत्र सीवाजी)सेन,धर्मचन्द का खांचा,भण्डेरी पोल के अन्दर,लाल दरवाजा,अहमदाबाद (गुजरात)से राशि 36625/—अक्षरे छतीस हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र मय 13प्रतिशत ब्याज(माह 8/2015से) तथा 10 प्रतिशत वसूली खर्चा व अप्रार्थी सं. 2—श्री भागीरथ मीणा, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत जसवंतपुरा हाल—पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद् चुरू से 36625/—अक्षरे छतीस हजार छः सौ पच्चीस रूपये मात्र मय 13प्रतिशत ब्याज(माह 8/2015से) तथा 10 प्रतिशत वसूली खर्चा वसूल करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार वसूली प्रमाणपत्र जारी हो।

S.d
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 6.9.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ADDL. DISTT.COLLECTOR,JALORE
FORM NO-2
Certificate of Public Demand
(See Section-4)

No of Certificate	Name &address of authority sending requisition	Name & address of defaulter	Amount of public Demand including interest if any for which this certificate is signed & period for which such demand is due (and coststs,if any)	Further particulars of the public demand for which this certificate is signed
1	2	3	4	5
3/2015	विकास अधिकारी, पंचायत –समिति जसवंतपुरा	1.श्रीमति फालूदेवी,पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कलापुरा, पंचायत समिति जसवंतपुरा हाल– पत्नि श्री मफतलाल (पुत्र सीवाजी) सेन धर्मचंद का खांचा, भण्डेरी पोल के अन्दर,लाल दरवाजा, अहमदाबाद(गुजरात) 2.श्री भागीरथ मीणा,तत्कालीन ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत कलापुरा (पं.स.जसवंतपुरा) हाल–पंचायत प्रसार अधिकारी,जिला –परिषद्, चुरू	अप्रार्थी सं.1 व 2 से क्रमशः 36625/–36625/–मय 13–13 प्रतिशत ब्याज वर्ष 8/2015से एवं 10–10 प्रतिशत वसूली खर्चा	विकास अधिकारी, पंचायत समिति जसवंतपुरा द्वारा धारा 3 का प्रमाणपत्र जो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004–05 में बताई गई गबन राशि की वसूली हेतु जारी किया गया है ,के अनुसार

I hereby certify that the above mentioned sum of Rs 36625/-is due from the above named.

I further certify that the above mentioned sum Rs. 36625/- is justly recoverable & that its recovery by suit is not barred by law.

Date 6-9-2018

sd.

Addl. Distt. Collector,
Jalore